

तारीख हुकम

24.08.2018

हुकम या कार्यवाही तब लघुहस्ताक्षर जब

जबकि व कार्यवाही  
अदालत की हुकम  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी न. 2 की सम्मन तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः प्रतिवादी न. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील-वादी ने प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का निस्तारण बरुये राजीनामा किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1689, 1690, 2036/2, 2050, 2052 से 2084, 2065/2 कुल किता 18 कुल रकबा 4.1308 हेक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 1/12 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वाद व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रक भूमि है। वादपत्र में अंकित सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 एक ही कुटुम्ब परिवार से होकर आपस में सगे भाई है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 की भूमि पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी सं. 1 की पैत्रक भूमि है। जो पूर्व में वादी के दादा भूदाराम के नाम दर्ज चली आ रही थी तथा इसके बाद उनकी मृत्यु उपरान्त भूमि की खातेदारी विरासत का नामान्तरण उनके पुत्रगण कजोड़, रूड़ाराम व वादी के पिता मृतक गंगाराम के पैत्रक हिस्सा की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 एवं सोनी देवी पत्नी व राधा पुत्री के नाम दर्ज हो गयी तथा वादी के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज होने से रह गयी तथा इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि की खातेदारी माता व बहिन से हकत्याग करवाकर अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/12 हिस्सा की दर्ज चली आ रही है उस पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादी उक्त 1/12 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि के 1/24 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। खातेदारी के अभाव में वादी को सख्त हक तलफी है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज है। जिस बाबत वादी द्वारा प्रतिवादी न.1 को कई बार कहा

## FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

किसम मुकदमा

राजीनामा

बनाया

क्रमांक 108

दि. 10.08.2018

संव. 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय सचुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>गया। अब आनाकानी करने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने हेतु वादपत्र पेश किया है।</p> <p>वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से सहमत होते हुए वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश किया है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र से पूर्णरूपेण सहमत होते हुए वादी के पक्ष में अदालत में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है एवं वादपत्र का समर्थन किया है। जो पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा से भी साबित होता है।</p> <p>वादपत्र में दर्ज पक्षकारान् एक ही परिवार से होकर आपस में सगे भाई होना वादी द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि उक्त भूमियों पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी न. 1 की पैतृक व मौरूसी भूमियों है तथा उक्त भूमियों को पक्षकारान् ने मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जिसके अनुसार खातेदारी अपने-अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रकरण में पक्षकारान् ने राजीनामा भी पेश कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा बरूये राजीनामा ही प्रकरण का निस्तारण चाहते है। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण का न्याय हित में निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर दावा मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा राजीनामा दिनांक 10.08.2018 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार राजस्व</p>	

GW

नामुना वनाम पुनर्विहारा

हुकम या कार्यवाही मय लखनऊ जज

दावा

सु. नं - 68/2018

नाम व तारीख  
जसकाल जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुय

रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी भाँति फर्दा  
डिक्री जारी हो। मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में  
अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाय।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल  
दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक  
24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

*(Signature)*

(ब्रह्म लाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर (सीकर)